


31/08/2020

आवेदन वकील द्वारा प्रिसल तलबी आवेदन पर पत्रावली पैस हुई । प्रलवाय वादी के बिझे आवेदन पर खारिज किया जा चुका है । अतः आवेदन अन्तर्गत धारा 212 रा.अ. चालु रखने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रल आवेदन खारिज किया जाकर पत्रावली प्रिसल सुधार डीकर नंबर से कम डीकर बाद दफ्तर दाखिल है ।


साहायक कमिश्नर (जास्टिस)
दौताराजगढ़ (सीकर)

दीरामान
पट्टावाकत
